

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 11, 1972/आश्विन 19, 1894

No. 229] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 11, 1972/ASVINA 19, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 11th October 1972

SUBJECT.—Licensing conditions under DM 30 Million Credit for Capital Goods for 1971-72.

No. 145-ITC(PN)/72.—The licensing conditions under DM 30 Million Credit for Capital Goods for 1971-72 as given in the Appendix to this Public Notice are notified for the information of the trade.

APPENDIX

Conditions to be stipulated in the Import Licence(s) issued for contract(s) to be financed under DM 30 million Credit for Capital Goods for 1971-72.

1. These conditions will be applicable to imports of goods and services from the Federal Republic of Germany which have been approved by the Capital Goods Committee of the Government of India.

Where approval given by the Capital Goods Committee in an individual case exceeds Rs. 22.6 lakhs (DM 1 million), prior concurrence of the German authorities to the allocation is necessary which is obtained by the Department of Economic Affairs on the basis of information to be supplied by the Indian importer in the form as at Annexure—II. Till such concurrence from the German authorities is communicated to them, the Licensing authorities shall not issue the import licence in favour of the Indian importer.

2. The goods and services to be financed under the import licence must be supplied only by firms domiciled in the Federal Republic of Germany including Land Berlin.

3. The import licence will be issued at the rate of exchange of DM 1=Rs. 2.26 until further orders.

4. The value of each contract must not be less than Rs. 67,800 (DM 30,000) and must not exceed Rs. 67.8 lakhs (DM 3,000,000).

5. Orders must be placed with suppliers in Federal Republic of Germany after obtaining comparable bids.

6. Orders must be placed on C.I.F. or C&F basis.

7. The licence will be issued with an initial validity period of 12 months subject to the condition that firm orders must be placed on the suppliers in Germany within four months from the date of issue of the import licence.

8. (i) If orders are not placed within four months, the licensee should apply to the licensing authorities immediately thereafter with adequate justification for suitable extension in the period of ordering. The licensing authorities will extend the validity period for ordering upto a suitable date, after considering the application on merits. Only on production by the licensee of such letters of extension the authorised dealers and departmental authorities would permit the facility of bank guarantee, letters of authority, establishing letters of credit and depositing of rupee equivalent.

(ii) In cases where orders have not been placed for the full value of the licences, extension in the period of ordering will have to be obtained for operating the balance values which are not covered by orders placed within the prescribed period of four months, as per procedure indicated at (i) above.

(iii) It will be in the interest of the licensees themselves to ensure that ordering is completed within the prescribed period of four months. In cases where this cannot be done for valid reasons, they should on their own, approach the licensing authorities for suitable extension in the period of ordering as per procedures indicated in (i) and (ii) above.

(iv) The authorised dealers in foreign exchange and the departmental authorities will exercise necessary checks to ensure that the licensees comply with the requirement of placing orders within four months (or any extended period allowed by the licensing authorities).

9. Payments to German suppliers against the import licence will be made by means of a "special" letter of credit as explained in para 16 below. No remittance of foreign exchange is permitted against this import licence. Any payment towards Indian agents' commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, have to form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

10 Payments to West German suppliers under the import licence should be completed by 30th June, 1974. Suitable provision would therefore, be made in the purchase orders/contracts regarding completion of shipments by 31st March, 1974. In case if it anticipated that payment cannot be completed by that date, request for extension with adequate justification must be made to the Department of Economic Affairs (Controller of Aid Accounts Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi), by 31st March, 1974. Such requests will be considered on merits.

11 (a) The contracts under the import are subject to the approval of the Government of India and the Kreditanstalt für Wiederaufbau (the German Development Bank through which the credit of DM 30 million has been made available) and should incorporate a clause to this effect.

(b) In the case of contracts entered into against an import licence of a value of upto Rs 22.6 lakhs (DM 1,000,000) the approval of the contracts will not be specifically communicated, and once the Government of India have forwarded the contract to the Kreditanstalt für Wiederaufbau, it shall be treated as if the contracts have been approved, the contracts should be treated as provisional until they have been so forwarded.

(c) In the case of contracts (or purchase orders supported by Suppliers confirmation thereof) entered into against an import licence of a value above Rs 22.6 lakhs (DM 1,000,000) the approval of Kreditanstalt will be obtained and specifically communicated by the Government of India to the Indian importers, and until then the contracts should be treated as provisional. For this purpose four copies of such contracts should be sent to the Ministry of Finance Department of Economic Affairs (WE I Section, Room No. 270, North Block) as soon as contracts are signed.

12 (a) Goods to be financed under the credit should be transported by Indian and/or Federal Republic of Germany's vessels only even though shipment may take place from a third-country West European port. The following clauses shall be inserted in the supply contracts as well as in the letters of credit—

"Shipments have to be made only by West German or Indian Shipping Companies on their own or chartered vessels. Only in these cases the freight charges will be paid from loan funds."

Failure to comply with this provision will amount to serious contravention of the conditions of the licence and will involve the risk that no payment at all will be made to the suppliers.

(b) Where the German suppliers have failed to comply with the relative shipping conditions, the authorised dealers opening Letter of Credit should specifically instruct their correspondents *not to make any payment to the beneficiary German suppliers under "reserve" and later send the documents to India on collection basis.*

(c) In case the German suppliers anticipate any difficulty in complying with the provision for shipment of cargo by Indian/West German vessels, the services of Messrs. Schenker and Co., Hamburg, should be availed of.

13 (a) The German suppliers should be made responsible for payment of freight charges in D.M.s to the agents of the Indian and/or Federal Republic of Germany shipping companies carrying the cargo through a suitable provision in the supply order as also in the Letter of Credit.

(b) It should be clearly understood that payment of freight charges will be made by the German authorities only on presentation of the relative freight invoice of the Shipping Companies concerned or their authorised agents. Necessary stipulation in this regard should be made in the Letter of Credit.

(c) Under no circumstances should the Indian importer pay freight charges in rupees in India to the agents of the Shipping Companies. Even for Indian ships the payment must be made in foreign exchange.

14 Within a fortnight of entering into a contract or contracts (or purchase orders supported by suppliers' confirmation thereof) against an import licence of a value upto DM 1,000,000 (Rs 22.6 lakhs) and within a fortnight of the communication by the Government of India of the approval by the KfW in the case of contracts under an import licence exceeding the aforesaid value, a report (in triplicate) containing the following information alongwith three copies of the contract (for import licences

upto 1 million in value) should be sent to the Department of Economic Affairs (WE. I Section, Room No. 270, North Block), Ministry of Finance, New Delhi:

- (a) Name and address of the importer;
- (b) Number, date and value of the licence (along with a copy thereof),
- (c) Value in DM of the order placed and accepted by the suppliers, indicating the payment terms, viz, c.i.f etc.;
- (d) Short description of the goods to be imported;
- (e) Name and address of the supplier(s);
- (f) A certificate that the orders have been placed on the basis of competitive bidding procedure, or after comparable bids have been obtained;
- (g) Expected date of completion of deliveries; and
- (h) A schedule of payments showing probable dates with amounts, on which payments under the contract will fall due.

If the above-mentioned report is not received within the period mentioned above the licence may be deemed to have lapsed, either wholly, or in part.

15. (a) The report called for in paragraph 14 above should be accompanied by a request (in the form as in Annexure II) for the issue of a Letter of Authority by the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) for opening a letter of credit in favour of the Suppliers on any one of the following five Banks. The request should be accompanied by a Bank Guarantee from a Scheduled Bank in India, which is authorised to deal in foreign exchange (in the form as in Annexure IV).

- (i) The Bayerische Vereinsbank, Munich.
- (ii) The Commerzbank A. G., Frankfurt.
- (iii) The Deutsche Bank A. G., Hamburg.
- (iv) The Dresdner Bank A. G., Jungfernstieg, Hamburg.
- (v) Berliner Handels Gesellschaft Frankfurter Bank.

(b) No Bank Guarantee is required for Public Sector Importers provided the request for the issue of a Letter of Authority from them is routed through a nominated Branch of any of the nationalised Banks or the State Bank of India and its subsidiaries.

(c) The Importers and their bankers should specifically indicate the German Bank selected by them.

(d) The Bank Guarantee where necessary, should be for an amount representing the rupee equivalent of the value of D.M. of the proposed Letter of Authority plus 1 per cent of that amount towards incidental and commitment charges and in addition interest and other charges as mentioned in Annexure IV. The prevailing rate of conversion shall be at the rate indicated in para 3 above i.e. 1 DM = Rs. 2.26 until further notice. This rate is meant only for purpose of arriving at the value of the guarantee to be issued. For purposes of making rupee deposits into Government account towards the DM cost of imports made under the licence, the rupee equivalent will have to be worked out in terms of Public Notice No. 15-ITC (PN)/72, dated 28th January, 1972 until further notice. Any change in this regard will be notified as and when necessary.

16. If the Bank Guarantee, contemplated in para 15 is found to be in order, the Ministry of Finance (Controller of Aid Accounts, Department of Economic Affairs) will issue a Letter of Authority to the German Bank concerned (as in Annexure V), authorising payment upto the specified amount to the German suppliers on the basis of a "special" letter of credit to be opened by the importer's bank in India. A copy of such authorisation will be sent to Indian Licensee. The original Letter of Authority along with a copy thereof will be sent to the concerned Indian bank authorised to open the Letter of Credit, asking it to submit the original Letter of Authority to the German Bank concerned alongwith the Letter of Credit, opened by it (such direction will be as in Annexure VI). A copy of this communication will be addressed to the importer,

17. The "special" Letter of Credit on the German bank should be opened within thirty days from the date of the issue of the Letter of Authority, under intimation to the Controller of Aid Accounts, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi, otherwise the Letter of Authority already issued will be deemed to be no longer valid.

18. The payments to the suppliers will be made by the German Bank concerned on collection of requisite documents and statements. The negotiable set of import documents will be sent by it to the importer's bank in India, alongwith an Advice Note giving details of amongst disbursed and the dates of such disbursements.

19. Within 10 days of the receipt of the documents the Bank in India shall arrange to deposit into Government account as indicated in para 20 below the rupee equivalent of the amount disbursed to the suppliers calculated at the rate of conversion between DM and Rupee prevailing on the date of payment to the West German suppliers together with 1 per cent thereof towards incidental and commitment charges, along with interest at 6 per cent per annum for the period from the date of payment to the West German suppliers upto the date on which rupee equivalents are deposited. For this purpose the DM payments will have to be converted into Rupees as per instructions contained in Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28th January, 1972. Any change in this rate of conversion will be notified through Public Notice as and when necessary. It will be the responsibility of the bankers to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before the import documents are handed over to the importers. The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers.

20. The deposit envisaged in para 19 may be made in cash either at the Reserve Bank of India, New Delhi, or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or the amount may be remitted by means of a demand draft drawn on and in favour of the Agent, State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6, for credit to Government account as contemplated in Public Notice No. 233-ITC(PN)/68, dated the 24th October, 1968. The Head of Account to be credited is "T-Deposits and Advances—Part II—Deposits not bearing interest—Direct Payment Procedure" under the detailed head "Deposits for cost of supplies and equipment obtained under German Capital Goods Credit for 1971-72 (DM 30 million Credit)".

In the treasury challans, the following particulars should invariably be furnished:—

- (a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.
 - (b) Amount of foreign currency in respect of which rupee deposits are to be made together with the rate of conversion adopted.
 - (c) Date of payment to the foreign suppliers.
 - (d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.
 - (e) The total amount deposited.
- (Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the suppliers upto the date of deposit of rupee equivalents into Government account.)

21. One copy of the Challan from the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6, or intimation regarding the submission of Demand Draft to the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 should be sent by the Bank, which has issued the guarantee, to the Controller of Aid Accounts Deptt. of Economic Affairs, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-1 along with a forwarding letter giving full details of the Advice Notes received from the concerned nominated German Bank.

22. It will be obligatory for the importers to make the requisite rupee deposits through authorised dealers only and also to get the exchange control copy of the licence endorsed by them, as required in Public Notice No. 184-ITC(PN)/68, dated the 30th August, 1968. They should also fill in the requisite "S" forms as prescribed by the Reserve Bank of India.

23. After the imports under a licence are completed and the importers/bankers have deposited into Government account all the amounts due, details of the imports received and of rupee deposits made should be furnished to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs, Economic Aid Accounts Branch, Parliament Street, New Delhi-1 in the proforma prescribed in Annexure VII to enable the Ministry of Finance to verify and arrange for release of the bank guarantees furnished by the importers wherever necessary.

24. A quarterly report commencing from the date of issue of the licence should be furnished in duplicate as in Annexure VIII to the Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs (WE. I Section, Room No. 270, North Block), New Delhi showing progress of ordering delivery of goods, payments to German suppliers etc. and should be continued till all shipments and payments under the contract have been completed.

25. For special conditions to be observed while finalising the purchase contracts against the licence Annexure I may be referred to.

ANNEXURE I

Special conditions to be observed while finalising the Purchase Contracts under DM 30 million Credit for Capital Goods:

(i) The conditions for payment contained in contract must conform to customary standards.

(ii) Where the nature of supplies/services covered by the contract/project require a performance guarantee, a provision should be made in the purchase contract to the effect that the last instalment of payment shall not fall due prior to the end of an adequate period (which period shall not be less than six months of start up of the equipment/project) after completion of the delivery of goods or of the project. Where a Bank Guarantee is furnished by the suppliers in respect of last instalment such payment can be made on completion of shipment, subject to the condition that the Bank Guarantee shall be discharged at the end of an adequate period after delivery of the capital goods or completion of the individual project. An attested copy of the Bank Guarantee should be appended to each copy of the contract to be forwarded to the Ministry of Finance Department of Economic Affairs (WE. I Section Room No. 270, North Block), New Delhi-1.

According to VDMA (German Machine Manufacturer's Association) Regulations, the German suppliers are required as a general rule to provide a performance guarantee to the importer, for a period of six months from the date of start up of the equipment/machine. The licensee is, therefore, advised to insist on such a guarantee at the time of entering into a purchase contract. If a performance guarantee in accordance with the VDMA Regulations is given by the German suppliers, 100 per cent payment can be made on completion of shipment, without the requirement of a Bank Guarantee for the last instalment of payment as specified in the preceding paragraph.

(iii) In respect of CIF orders, the German suppliers should be asked to take out insurance with a Federal Republic of Germany insurance company.

(iv) Payment if any, arising out of the Bank Guarantee referred to at (ii) above, or arising out of claims on account of insurance referred to in (iii) above should be made to the Kreditanstalt für Wiederaufbau (Account No. 504 09100 with Deutsche Bundesbank, Frankfurt/Main) directly by the Bank/Insurance Company.

(v) In the case of C&F orders, insurance must be taken out with an Indian Insurance Company. The Indian Insurance Company should give the following undertaking to the importer:

"We shall make remittances in foreign currency to the overseas suppliers for any replacement necessitated by loss or damage to goods."

(vi) The Indian Importer should take note of the following conditions:--

(a) Any material alteration in the contracts pertaining to list of goods, terms or schedule of payments, value of goods, etc. will require the prior approval of the Ministry of Finance and German authorised, whether it results in earlier payments, or in postponement of payment.

(b) Such alteration(s) should be promptly intimated to the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi (WE. I Section, Room No. 270, North Block).

ANNEXURE II

KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU

6-Frankfurt/Main, Federal Republic of Germany Palmengartenstrasse 5—9.

Application for Foreign Exchange from German Capital Goods Loan

PROJECT DATA

- (1) Applicant:
(firm)
 - (a) Registered Office:
 - (b) Public or private undertaking:
 - (c) Business Line:
 - (d) Partners of Company:
 - (e) Foreign collaboration agreements:
(name of collaborator; kind and duration of agreement).

- (2) Type of capital goods to be financed.

- (3) Choice of capital goods based on
 - (a) Competitive bidding procedure:
 - (b) Comparable bids:

- (4) Suppliers:
(name and address)

- (5) Short description of the whole project
(for which such capital goods are required).

- (6) Cost of the whole project:

Local Cost	Foreign Exchange:	Total:
------------	----------------------	--------

- (a) Plant and property.
- (b) Machinery and equipment.
- (c) Operating funds.
- (d) Miscellaneous

TOTAL:—

- (7) Local and foreign financial sources for the whole project:

- (8) Letter of Intent, Industrial Licence and Import Licence received?

- (9) Annual reports with balance sheets and profits and loss accounts for the last two years, and cash-flow forecast, if available:

- (10) Capacity:

- (a) Average utilisation of existing capacity during the last two years:
- (b) In case of under-utilisation, please give main reasons.

- (11) Sales

(last two years):

—exports thereof

(percentage of total sales and values in Rupees).

(12) Market position of the products to be manufactured—

- (a) Main domestic and foreign competitors on the Indian market.
- (b) Main customers and sales regions in India:
- (c) Main export countries:

(13) Employment—

- (a) Present number of employees:
- (b) Additional employment after completion of project:

(14) Sources of raw material supplies:

(15) Time-table for the execution of the project:

ANNEXURE III

To

The Cotroller of Aid Accounts,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
Jeevan Deep Building,
Parliament Street,
NEW DELHI-1.

SUBJECT.—Import of from West Germany,
under West German Capital Goods Credit for 1971-72 (DM 30 million
credit):

Sir,

In connection with the import of from
West Germany under the above credit, we furnish the following particulars to
enable you to issue the Letter of Authority for opening a letter of credit on the
Bayerische Vereinsbank, Munich, or Commerzbank A. G. Frankfurt or Deutsche
Bank A. G. Hamburg or the Dresdner Bank A. G., Jungferntief, Hamburg or Berliner
Handels Gesellschaft Frankfurter aBnk, 6-Frankfurt A. M. Main:

- (a) Name and address of the importer.
- (b) Number, date and value of the licence.
- (c) Value in DM and date of the order placed and accepted by the suppliers,
indicating payment terms viz., (c.i.f. or c&f) (in no case, letter of
authority should be applied for f.o.b. value only).
- (d) Short description of the goods to be imported.
- (e) DM amount for which Letter of Authority is required.
- (f) Name and address of the suppliers and the DM amount payable for such
suppliers.
- (g) Expected date of completion of deliveries.
- (h) A schedule showing probable dates on which payments under the contract
will fall due.

The Letter of Credit will be opened through—

.....
(Name and address of the Indian Scheduled bank, authorised to
.....)

deal in foreign exchange)

and the Bank Guarantee No. dated for
Rs. furnished by the above mentioned bank
and which has been duly adjudicated by the Collector of Stamps, in accordance with
Section 31 of the Stamp Act, 1899 is attached.

(Licensee)

Copy forwarded to.....

Bank for information.

ANNEXURE IV

Guarantee Bond

To

The President of India,

In consideration of the President of India (hereinafter called 'the Government') having agreed to arrange for payment in DM for the import of..... by..... (hereinafter called the importer') against the licence No..... dated..... issued under the terms and conditions of West German Capital Goods Credit for 1971-72 and in pursuance of import in favour of the importer against the above mentioned agreement, We..... Bank, at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit the amount of the disbursements made by the.....

(Name of the German Bank nominated by the importer),

plus 1 per cent thereon converted at the prevailing rate of exchange calculated as per instructions issued by the Government in the matter from time to time within 10 days of the receipt of advice of payments, for credit to the Government account, in the manner and against to appropriate Heads of Account as indicated by the Government of India under the said credit together with interest thereon at the rate of 6 per cent per annum, from the date of payment to the German supplier to the date of payment of Rupee equivalent for credit to the Government account. The negotiable set of import documents received from the German Bank will be released to the importer only after the rupee deposits contemplated above have been made.

2. We, the..... Bank also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the Importer of any sum that may be due and payable from time to time by the importer to the Government at such place and in such manner as the Government may from time to time direct, such sums not exceeding Rs..... or any part thereof, for the time being due and payable by the importer, together with interest thereupon at the rate of six per cent per annum, from the date of payment to the German supplier. The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer, or on his part and in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us..... Bank shall be final and binding on us..... Bank.

3. We,..... Bank further agree that in case of increase in the value of imports or increase in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in the composite rate of exchange, the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change takes place, in proportion to this change.

4. We,..... Bank further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said Agreement/contract and that it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under, or by virtue of this guarantee have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

5. The guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the importer or the..... Bank and the Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from time to time any of the powers exercisable by it against the importer and the..... Bank shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise of the Government of the liberty with reference to the matters aforesaid or by reason of time being given to the Importer or any other forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the Importer or by any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties shall, but for this provision have the effect of so releasing the..... Bank from its such liability.

6. We..... Bank lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency, except with previous consent of the Government, in writing.

7. Our liability under this guarantee is restricted to Rs..... (plus interest and other charges, not expected to exceed 1 per cent of the guarantee amount) and it will remain in force till the..... day of..... (month of..... 197 . Unless claims under the guarantee are made in writing within 6 months of this date and unless a suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter i.e. upto..... all Government rights under this guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Dated the..... day of

for..... Bank

Accepted for and on behalf of
the President of India by Shri
(Name and designation)

Signature

Signature

*This date shall be arrived at by adding one month to the date upto which the Letter of Authority is required to be kept valid.

NOTE.—The value of the stamped paper in which this guarantee is to be executed is to be adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamps Act.

ANNEXURE V

Letter of Authority No.

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the.....197

To

(Name and address of the German Bank)

Dear Sirs,

SUBJECT.—*Procedure for payments to German suppliers through the Letter of Credit Cover Deposit Account with you under Capital Goods Credit for 1971-72 (AL 710) from the Federal Republic of Germany.*

In accordance with the terms and conditions of the above procedure, agreed upon through letter Nos. dated the addressed to your Bank by the Chief Accounting Officer, High Commission of India, London, we hereby authorise you to pay an amount of DM..... to..... under the letter of credit to be opened by..... for covering the import of..... against contract entered into by.....

2. After each payment, the shipping and other documents (negotiable) may be forwarded direct to..... and a payment advice alongwith one set of documents (non-negotiable) sent to the undersigned for information.

3. Your banking charges under the above letter of credit will be settled-directly with you by the..... by remittance from India.

4. This authority will remain valid upto.....197 .

Yours faithfully,

Account Officer

ANNEXURE VI

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

SUBJECT.—*Imports from West Germany—DM 30 Million Credit for Capital Goods—Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit—Import Licence No.*

Dear Sirs,

With reference to letter No. _____ dated the _____ from M/s _____ in which they have requested permission for opening a letter of credit through your Bank under the DM 30 million Credit for Capital Goods, I am enclosing the Department of Economic Affairs Letter of Authority No. _____ dated the _____ issued to the _____ authorising them (with one spare copy) to arrange payments upto DM _____ to the West German suppliers. This Letter of Authority should be sent by you to the _____ alongwith the Letter of Credit opened by you.

2. You are hereby authorised to open the Letter of Credit for an amount not exceeding DM _____ within a period of thirty days from the date of this letter under intimation to this Department. In terms of para 10 Section VII of Exchange Control Manual, you are required to ensure that the date of expiry of the Letter of Credit is not later than 30 days after the final date for shipment as stated in the relative import licence or the date indicated in the Letter of Authority whichever is earlier. Before Opening the Letter of Credit, it may please be ensured that the importer is in possession of a valid Import Licence. The LETTER OF CREDIT TO BE OPENED MUST CONTAIN A CLAUSE TO THE EFFECT THAT THE SHIPMENT IS TO BE EFFECTED IN AN INDIAN/WEST GERMAN VESSEL and that the supplier should be made responsible for payment of freight charges in DM.

3. You are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the DM payments to the German suppliers together with 1 per cent thereof towards incidental and commitment charges in terms of the Guarantee furnished by you, within 10 days of the receipt of documents from the _____. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the prevailing rate of conversion as instructed in Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28th January 1972 until further orders. This rate is subject to revision if and when the IMF parity rate of exchange undergoes change. Interest at the rate of 6 per cent p.a. for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited is also required to be deposited into Government account. It will be your responsibility to arrange for the deposit of these amounts and to ensure that the deposits so made are correct in all respects, before the import documents are handed over to the importer.

4. These amounts should be deposited either with the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a demand draft obtained by you from any Branch of the State Bank of India or its subsidiaries (Drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (Drawee & Payee). In this connection, your attention is also invited to the provisions of the Public Notice No. 233-ITC(PN)/68, dated 24th October, 1968. The head of account to be credited is "T-Deposits & Advances—Pt. II—Deposits not bearing interest—Civil Deposits—Deposits for purchases abroad under Direct Payment Procedure" under the detailed head "Deposit for cost of supplies and equipment obtained under DM 30 million Credit for Capital Goods from West Germany."

5 One copy of the challan in original, in case where the rupee equivalents are credited in cash at the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India Delhi should be sent by you to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the Advice Notes received from the nominated German Bank

The Controller of Aid Accounts
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs
Jeevan Deep Bldg Parliament Street,
New Delhi

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated the 24th October 1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department. (Period for which interest has been calculated and amount of interest paid should be clearly indicated)

6 A payment clause to the effect that the insurance claim, if any, received from the West German Insurance Company and/or claims arising out of Bank Guarantee relative to performance guarantee should be remitted by the Insurance Company and/or the Bank giving the guarantee in DM direct to Kreditanstalt (Account No 504 09100 with Deutsche Bundes Bank, Frankfurt/Main) under advice to the Controller of Aid Accounts Ministry of Finance Department of Economic Affairs, New Delhi may be inserted in the Letter of Credit to be opened by you

7 The receipt of this letter may please be acknowledged

Yours faithfully
Accounts Officer

Copy forwarded to —

M/s _____ for information, with reference to their letter quoted above. A copy of the Letter of Authority is also enclosed. In case the German Suppliers anticipate any difficulty in complying with the transport of goods by Indian and/or German vessels, the services of M/s Schenkar and company may be availed of.

Accounts Officer

ANNEXURE VII

Proforma

1. Name and full address of the importer/licensee on whose behalf the Bank Guarantee was furnished.
2. The import licence number and date and value.
3. Number, date and amount of the guarantee furnished.
4. Particulars of the Letter of Authority, for opening Letter of Credit obtained from the Ministry of Finance.
 - (a) Number and date of the Letter of Authority.
 - (b) Amount of the Letter of Authority (in DM).
5. Particulars of Imports effected and rupee deposits made.
 - (a) Name of supplier(s).
 - (b) Amount (in DM) actually paid to the supplier(s) mentioned at (a) above.
 - (c) Date of payment to the supplier by the nominated German Bank.
 - (d) Amount of rupee deposits:—
 - (i) Rupee equivalent of DM amount paid to the supplier @ 1 DM=.
 - (ii) Interest paid.
 - (iii) Period for which the interest has been calculated from..... to.....
 - (iv) Total deposit made.
 - (v) Date and place of deposit.
 - (vi) Number and date of the Treasury Challan (to be enclosed).
If the Treasury Challan has already been sent, reference to the letter number and date with which it was sent may be quoted.
 - (vii) If the rupee deposit mentioned in (d)(iv) above was made by means of Demand draft the number, date and amount of the draft and particulars of your letter with which it was sent to the Accountant General, Central Revenues, to be indicated.
6. Amount utilised and balance unutilised (in DM) against each Letter of Authority.
7. A certificate that the balance indicated in 6 above, has not been utilised and no shipment has been made thereof, and the same may be treated as lapsed.

(Authorised signatures)

ANNEXURE VIII
PROFORMA

Name of Company	Private Sector/ Public Sector	Category of Industry	Address of Company	Amount of Allo- cation (Rs.)	No date and value of L.L. (Rs.)	Value of Contract (DM)	Value Of L.C.	Amount paid against the L.C. (DM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Note— In respect of allocation exceeding Rs. 22.6 lakhs (DM1 Million), the licence will be required to submit in addition half yearly report on Special event, if any, on the progress of the project and on adherence the time — schedule for completion of project. Annual Reports (2 copies) will be also required for at least three years until completion of the project.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1972

विषय :—1971-72 के लिए पूंजीगत माल के लिए डी एम 3 करोड़ क्रेडिट के अन्तर्गत लाईसेंस दिए जाने के लिए शर्तें ।

संख्या 145-आई० टी० सी० (पी० एन०)/72.—1971-72 के लिए पूंजीगत माल के लिए डी एम 3 करोड़ के अन्तर्गत लाईसेंस जारी करने के संबंध में जैसी शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के लिए परिशिष्ट में दी गई हैं, उन्हें व्यावसायी की सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है ।

अनुबंध

1971-72 के लिए पूंजीगत माल के लिए डी एम 3 करोड़ के अन्तर्गत अर्थयुक्त किए जाने वाली संविदा (संविदाओं) के लिए जारी किए गए आयात लाईसेंसों में अनुबन्धित की जाने वाली शर्तें ।

1. ये शर्तें जर्मन जनवादी गणराज्य से उन माल और सेवाओं के आयातों के लिए लागू होंगी जो भारत सरकार की पूंजीगत माल समिति द्वारा अनुमोदित हो चुकी हैं ।

उस एक मामले में जो 22.6 लाख रुपए (डी एम 1 मिलियन) से ज्यादा है, यदि पूंजीगत माल समिति द्वारा अनुमोदित दे दिया जाता है, तो आइटम के लिए जर्मन प्राधिकारियों से पूर्व सहमति लेना आवश्यक है जो अनुबंध-2 में दिए, गए प्राप्य में भारतीय आयातक द्वारा भेजी जाने वाली सूचना के आधार पर अर्थकार्य विभाग द्वारा प्राप्त की जाती है । जब तक जर्मन प्राधिकारियों से इस प्रकार की सहमति से उनको अवगत नहीं करा दिया जाता, तब तक लाईसेंस प्राधिकारी भारतीय आयातक के नाम में आयात लाईसेंस नहीं जारी करेगा ।

2. आयात लाईसेंस के अन्तर्गत अर्थयुक्त किए जाने वाले माल और सेवाएं केवल बर्लिन देश सहित जर्मन जनवादी गणराज्य के अधिवासी फर्मों द्वारा ही संभरित की जानी चाहिए ।

3. अगले आदेशों के जारी होने तक, आयात लाईसेंस परिवर्तन की दर डी एम 1/2.26 रुपए पर जारी किया जाएगा ।

4. प्रत्येक संविदा का मूल्य 67,800 रुपए (डी एम 30,000) से कम नहीं होना चाहिए तथा 67.8 लाख रुपए (डी एम 3,00,0000) से ज्यादा नहीं होना चाहिए ।

5. जर्मन जनवादी गणराज्य के संभरकों को आदेश नुलनात्मक बोलियाँ प्राप्त करने के बाद अवश्य दिए जाने चाहिए ।

6. आदेश लागत बीमा भाड़ा या लागत भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए ।

7. लाईसेंस 12 माह की प्रारंभिक अवधि के लिए जारी किया जाएगा और वह इस शर्त के अधीन होगा कि आयात लाईसेंस जारी होने की तारीख से चार माह के भीतर जर्मनी के संभरकों को पक्के आदेश अवश्य दे दिए जाने चाहिए ।

8. (1) यदि आदेश चार माह के भीतर नहीं दिए जा सकते तो आदेश देने की अवधि में उपयुक्त वृद्धि के लिए पर्याप्त औचित्य देते हुए लाईसेंस धारी को चाहिए कि वह लाईसेंस प्राधिकारियों को शीघ्र ही आवेदन करे। जो लाईसेंस प्राधिकारी पात्रता के आधार पर आवेदन पत्र पर विचार करने के बाद आदेश देने की अवधि में उपयुक्त तारीख तक की वैध अवधि की वृद्धि करेंगे। लाईसेंसधारी द्वारा केवल इस प्रकार के वृद्धि-पत्र के प्रस्तुतीकरण पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय प्राधिकारी बैंक गारंटी, प्राधिकार पत्र, साख-पत्र की स्थापना करने और समतुल्य रुपए जमा करने की सुविधा प्राप्त करने की अनुमति देंगे।

(2) उन मामलों में जिन में लाईसेंस के पूर्ण मूल्य के लिए आदेश नहीं दिए गए हैं, तो उपर (1) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार आदेश देने की अवधि में वृद्धि उस शेष मूल्य के परिचालन के लिए प्राप्ति करनी पड़ेगी जो आदेश देने की निर्धारित चार माह की अवधि के भीतर दिए गए आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते।

(3) यह लाईसेंसधारियों के खुद के हित के लिए होगा कि वे इस बात का सुनिश्चित करें कि आदेश देने का काम निर्धारित चार माह की अवधि के भीतर पूर्ण कर लिया जाता है। उन मामलों में जिन में किन्हीं वैध कारणों से ऐसा नहीं किया जा सकता, तो उन्हें खुद ही ऊपर (1) और (2) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार आदेश देने की अवधि में उपयुक्त वृद्धि के लिए लाईसेंस प्राधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।

(4) विदेशी मुद्रा देने में प्राधिकृत व्यापारी तथा विभागीय प्राधिकारी इस बात का निश्चय करने के लिए आवश्यक जांच करेंगे कि लाईसेंसधारी चार माह के भीतर (या किसी भी अवधि वृद्धि के भीतर जो लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत है) आदेश देने की जरूरतों का अनुपालन करते हैं।

9. आयात लाईसेंस के मद्द जर्मन संभरकों को भुगतान नीचे की कड़िका 16 में बताई गई विधि से एक "विशेष" साख-पत्र के माध्यम से किया जाएगा। इस आयात लाईसेंस के मद्दे किसी भी विदेशी मुद्रा का प्रेषण स्वीकृत नहीं है। भारतीय अधिकृतों के किसी भी कमीशन का भुगतान भारत में भारतीय रुपए में किया जायेगा। लेकिन, इस प्रकार के भुगतान लाईसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इस लिए, लाईसेंस के लिए वसूले जायेगे।

10. आयात लाईसेंस के अन्तर्गत पश्चिम जर्मनी के संभरकों को भुगतान 30 जन, 1974 तक पूरे किए जाने चाहिए। इसलिए क्रय आदेशों/संविदाओं में 31 मार्च, 1974 तक पोटलदान पूर्ण किए जाने से सम्बन्धित उचित व्यवस्था करली जानी चाहिए। यदि यह उम्मीद की जाती है कि उस तारीख तक भुगतान पूर्ण नहीं किए जा सकते तो वृद्धि का पर्याप्त औचित्य देते हुए 31 मार्च, 1974 तक अर्थकार्य तक अविभाग (नियंत्रक सहायता लेखा, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली), को 31 मार्च 1974 तक आवेदन, अवश्य कर देना चाहिए। इस प्रकार के आवेदनों पर पात्रता के आधार पर विचार किया जायेगा।

11. (ए) इस आयात के अन्तर्गत संविदाएं भारत सरकार और क्रेडिटान्सटाल्ट फर वेडरोफ बर्म (जर्मन विकास बैंक जिसके माध्यम से डी एम 3 करोड़ का क्रेडिट उपलब्ध कराया गया है। के अनुमोदन के अधीन है और इस सम्बन्ध में एक अनुच्छेद अनुबंधित कर देना चाहिए।

(बी) उन संविदाओं के मामले में जो 22.6 लाख रुपए (डी एम 1,000,000) तक के मूल्य के आयात लाईसेंस के मद्दे की गई है, संविदाओं के अनुमोदन को विशेष रूप से संसूचित नहीं किया जायेगा; और एक बार भारत सरकार ने संविदा को क्रेडिटान्सटाल्ट को अग्रसारित कर

दिया है, तो यह समझ कर कि संविदायें अनुमोदित कर दी गई हैं, आयातक आगे कार्य कर सकते हैं, जब तक संविदाएं इस प्रकार अभ्यर्णित कर दी गई हैं तब तक उन्हें अन्तिम रूप से समझा जाएगा।

(सी) उन संविदाओं के मामलों में (या क्रय आदेश के मामले में जो उनके लिए संभरकों की पुष्टि द्वारा समर्थित हैं) में जो 22.6 लाख रुपए (डी एम 1,000,000) से ज्यादा मूल्य के आयात लाइसेंस के मद्दे की गई हैं, तो क्रेडिटान्सटाल्ट का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा और भारतीय आयातकों को भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से संसूकित किया जायेगा; और तब तक के लिए संविदाओं को अन्तिम रूप में समझा जायेगा। इस उद्देश्य के लिए ऐसी संविदाओं की चार प्रतियां जैसे ही संविदायें हस्ताक्षरित हो जाती हैं, वित्त मंत्रालय, प्रथमकार्य विभाग (डब्ल्यू ई-1 सेक्शन, कमरा नं० 270, नार्थ ब्लॉक) को भेजी जानी चाहिए।

12. (ए) क्रेडिट के अन्तर्गत अर्थयुक्त किए जाने वाले माल का परिवहन केवल भारतीय और/या जर्मन जनवादी गणराज्य के पोतों से ही किया जाना चाहिए। यहां तक कि पोतलदान एक तीसरे पश्चिमी यूरोपीय पत्तन से किया जाए तो भी निम्नलिखित अनुच्छेद संभरण संविदाओं और साथ ही साथ साखपत्र में शामिल किया जायेगा : —

“पोतलदान केवल पश्चिम जर्मनी या भारतीय शिपिंग कम्पनियों द्वारा उनके खुद के या चार्टर्ड पोतों द्वारा किए जाने हैं। केवल उन्हीं मामलों में ही भाड़ा प्रभार का भुगतान ऋण निधि से किया जाएगा।”

इस व्यवस्था का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में लाइसेंस की शर्तों का जबरदस्त उल्लंघन समझा जाएगा और इसमें यह खतरा शामिल हो जायेगा कि संभरकों को कुछ भी भुगतान नहीं किया जायेगा।

(बी) जहां जर्मन संभरक संबंधित पोतलदान शर्तों का अनुपालन करने में असफल हो जाते हैं तो साख-पत्र की स्थापना करने के लिए प्राधिकृत व्यापारियों को चाहिए कि अपने तत्संबंधियों को “सुरक्षित” के अन्तर्गत लाभ भोगी जर्मन संभरकों को किसी प्रकार का भुगतान नहीं करने तथा बाव में सामूहिकता के आधार पर भारत को प्रलेखों को भेजने का विशेष रूप से अनुदेश दें।

(सी) यदि जर्मन संभरक भारतीय/पश्चिम जर्मनी के पोतों द्वारा माल का पोतलदान के लिए दी गई व्यवस्था का अनुपालन करने में कोई कठिनाई होने की उम्मीद हो, तो मेसर्स स्वेन्कर एंड कं० हम बर्ग की सेवायें उपलब्ध की जानी चाहिए।

13. (ए) भारत के अभिकर्ताओं और/या जर्मन जनवादी गणराज्य की माल से जाने वाली शिपिंग कम्पनियों के डी एम में भाड़ा प्रभारों के लिए भुगतान करने के लिए संभरण आदेश में और उसी प्रकार साखपत्र में भी एक उपयुक्त व्यवस्था कर जर्मन संभरकों को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए

(बी) इसे भी अच्छी तरह से समझ लिया जाना चाहिए कि भाड़ा प्रभारों का भुगतान जर्मन प्राधिकारियों द्वारा केवल तभी किया जायेगा जबकि सर्वप्रथम शिपिंग कम्पनी का या उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं का संबंधित भाड़ा बीजक प्रस्तुत किया जाता है। इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुबंधन साख-पत्र में किया जाना चाहिए।

(सी) किसी भी हालत में, शिपिंग कम्पनी के अभिकर्ताओं के लिए भारत में भाड़ा प्रभारों का भुगतान भारतीय आयातक द्वारा रुपए में नहीं किया जाना चाहिए। यहां तक कि भारतीय जहाजों के लिए भी भुगतान विदेशी मुद्रा में ही किया जाना चाहिए।

14. संविदा किए जाने के 15 दिनों के भीतर या डी एम 1,000,000 (22.6 लाख रुपये) मूल्य तक के आयात लाइसेंस के मते संविदाओं (या उनके संभरकों की पुष्टि द्वारा समर्थित क्रय आदेशों) के लिए और आयात लाइसेंस के अन्तर्गत उक्त मूल्य से संविदाओं को अधिक होने की स्थिति में के० एफ० डब्ल्यू द्वारा दिए गए अनुमोदन भारत सरकार द्वारा दी गई संसूचना के 15 दिनों के भीतर निम्नलिखित सूचना को शामिल करते हुए संविदा (डी एम 1 मिलियन मूल्य तक आयात लाइसेंसों के लिए) भी तीन प्रतियों के साथ एक रिपोर्ट (तीन प्रतियों में) अर्थकार्य विभाग (डब्ल्यू ई-1 सेक्शन कमरा नं० 270, नार्थ ब्लॉक), वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए।

(ए) आयातक का नाम और पता ;

(बी) लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य (उसकी प्रति के साथ) ;

(सी) भुगतान दर अर्थात् लागत बीमा भाड़ा आदि का संकेत करते हुए दिए गए आदेशों और संभरकों द्वारा स्वीकार किए गए डी एम में मूल्य ;

(डी) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण ;

(ई) संभरक (संभरको) का नाम और पता ;

(एफ) इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र कि आदेश प्रातियोगिक बोली प्रक्रिया के आधार पर या तुलनात्मक बोलियां प्राप्त किए जाने के बाद ही दिए गए हैं ;

(जी) माल छुड़ाई के पूरे होने की संभावित तिथि ; और

(एच) धनराशि के साथ उक्त संभावित तिथि को प्रदर्शित करते हुए भुगतान की एक अनुसूची जिस तिथि को संविदा के अन्तर्गत भुगतान किया जाना है।

यदि उपर्युक्त उल्लिखित अवधि के भीतर उपर्युक्त रिपोर्ट नहीं प्राप्त हो जाती, लाइसेंस को पूर्णतया या आंशिक रूप में समाप्त समझा जा सकता है।

15. (क) उपर्युक्त पैरा 14 में मांगी गई रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित पांच बैंकों में से किसी एक बैंक में संभरक के नाम में साक्ष्यपत्र खोलने के लिए वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए एक आवेदनपत्र (अनुबंध 3 के प्रपत्र जैसा) होना चाहिए इस आवेदन पत्र के साथ विदेशी मुद्रा का व्यापार करने के लिए प्राधिकृत भारतीय अनुसूचित बैंक में से एक बैंक गारंटी (अनुबंध 4 के प्रपत्र जैसी) होनी चाहिए : —

(1) दि बेयरिखे विरीन्सबैंक, म्युनिख।

(2) दि कामर्ज बैंक, ए० जी० फ्रैंकफर्ट।

(3) दि ड्यूस्खे बैंक, ए० जी० हम्बर्ग।

(4) दि ड्रुस्टनर बैंक, ए० जी० जॉन्फर्स्टीफ, हम्बर्ग।

(5) वॉलिनर हैन्डल्स गेसत्स्चाफ्ट फ्रैंकफर्ट बैंक।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के आयातकों के लिए बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं है बशर्ते कि प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए उनका आवेदनपत्र राष्ट्रीयकृत बैंकों की किसी नामित शाखा या स्टेट बैंक आफ इंडिया और इसी की सहायक शाखाओं से होता हुआ आया हो।

(ग) आयातकों और उनके बैंकों को उनके द्वारा चुना गया जर्मन बैंक को विशेषरूप से निर्दिष्ट करना चाहिए।

(घ) जहाँ आवश्यक हो, बैंक गारंटी प्रस्तावित प्राधिकार पत्र के डी०एम० मूल्य के बराबर रुपए जमा इन रूपों का प्रतिशत आनुषंगिक और संपुर्ण खर्चों के लिए तथा इसके अतिरिक्त ब्याज और अनुबंध 4 में यथा उल्लिखित अन्य खर्चों को निरूपित करती हुई धनराशि के लिए होनी चाहिए। परिवर्तन की प्रचलित दर, जब तक और सूचना न दी जाए, उपर्युक्त पैरा 3 में निर्दिष्ट की गई दर पर होगी अर्थात् 1 डी०एम० 2.26 रुपए। यह दर केवल जारी की जाने वाली गारंटी के मूल्य को निकालने के उद्देश्य से है। लाइसेंस के अधीन किए गए आयातों की डी०एम० लागत के लिए सरकारी लेख में रुपया जमा करने के उद्देश्य से तुल्य रुपए की गणना, अगली सूचना जारी होने तक सार्वजनिक सूचना संख्या 15-आईटीसी (पी एन)/72, दिनांक 28-1-1972 के अनुसार करनी होगी। इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन जब और जैसे ही आवश्यक होगा। अधिसूचित कर दिया जाएगा।

16. यदि पैरा 15 में अपेक्षित बैंक गारंटी सब प्रकार से उचित पाई गई तो वित्त मंत्रालय (सहायता लेखा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग) भारत में आयातक के बैंक द्वारा खोले जाने वाले 'विशेष' साखपत्र के आधार पर जर्मन संभरकों को निर्दिष्ट धन राशि तक भुगतान के लिए सम्बद्ध जर्मन बैंक (अनुबंध-5 के अनुसार) को प्राधिकृत करते हुए एक प्राधिकारपत्र जारी करेगा। ऐसे प्राधिकार की एक प्रतिलिपि भारतीय लाइसेंसधारी को भेजी जाएगी। मूल प्राधिकार पत्र को उस की एक प्रतिलिपि के साथ साख पत्र खोलने के लिए प्राधिकृत सम्बद्ध भारतीय बैंक को यह कहते हुए भेजा जाएगा कि वह मूल प्राधिकार पत्र को अपने द्वारा खोले गए साखपत्र के साथ सम्बद्ध जर्मन बैंक को प्रस्तुत करे (ऐसा निर्देशन अनुबंध 6 के अनुसार होगा)। इस पत्र की एक प्रतिलिपि आयातक को भेजी जाएगी।

17. जर्मन बैंक में "विशेष" साखपत्र प्राधिकार-पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर खोला जाना चाहिए। इस की सूचना सहायता लेखा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग पार्कमेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भी देनी चाहिए, अन्यथा पहले जारी दिया गया प्राधिकार पत्र अवैध समझा जाएगा।

18. अपेक्षित दस्तावेज और विवरण-पत्र की वसूली पर सम्बद्ध जर्मन बैंक संभरकों को भुगतान करेगा। यह बैंक वितरित की गई धनराशि के ब्योरे और ऐसे वितरणों की तिथियों देते हुए एक परामर्श टिप्पणी के साथ आयात दस्तावेजों के परक्राम्य मेट को भारत में आयातक के बैंक को भेजेगा।

19. दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर भारतीय बैंक निम्नलिखित पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट सरकारी लेख में संभरकों को वितरित की गई धनराशि के बराबर रुपया, पश्चिमी जर्मनी के संभरकों को भुगतान की तिथि को डी०एम० और रुपए के बीच परिवर्तन की प्रचलित दर पर गणना करके, और इस रुपए का 1 प्रतिशत आनुषंगिक तथा संपुर्ण खर्चों के लिए और इस के साथ पश्चिमी जर्मनी के संभरकों को भुगतान करने की तिथि से तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए 6 प्रतिशत सालाना रकम दर से ब्याज जमा करने की व्यवस्था करेगा। इस कार्य के लिए डी०एम० भुगतान को सार्वजनिक सूचना संख्या 15-आईटीसी (पी एन)/72, दिनांक 28-1-72 निहित अनुदेशों के अनुसार रुपए में परिवर्तित करना पड़ेगा। यदि परिवर्तन की इस

दर में कोई तबबिली होगी तो वह जब और जैसे ही आवश्यक समझी जायेगी। सार्वजनिक सूचना द्वारा अधिसूचित कर दी जाएगी। यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व बैंकों का होगा कि आयातकों को आयात दस्तावेज देने में पहले देय धनराशि सरकारी लेखों में ठीक ढंग से जमा कर दी गई है। आयातकों को भी यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अपने बैंकों से दस्तावेज लेने से पहले देय धनराशि सरकारी लेखों में ठीक ढंग से जमा कर दी गई है।

20. पैरा 19 में उल्लिखित निक्षेप या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली में नकद में किया जाए या सार्वजनिक सूचना संख्या 233-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 24 अक्टूबर, 1968 में यथा अपेक्षित सरकारी लेखों में जमा करने के लिए एजेंट स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली-6 के पक्ष डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से धनराशि प्रेषित की जाए। जमा करने के लिए लेखों का शीर्ष "टी-डिपोजिट्स एंड एडवाइस-पार्ट 2—डिपॉजिट्स नाट बियरिंग इन्ट्रेस्ट डायरेक्ट पेमेंट प्रोसीजर" और विस्तृत शीर्ष "डिपॉजिट्स फार कास्ट आफ सप्लाइज एंड इक्विपमेंट आबटेन्ड अन्डर जर्मन क्रेडिटल गुड्स क्रेडिट फार 1971-72 (डी० एम० 30 मिलियन क्रेडिट)" है।

राजकोष चालानों में साथ-साथ निम्नलिखित ध्यौरे भी प्रस्तुत करने चाहिए :—

- (क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार-पत्र की संख्या और दिनांक।
 - (ख) अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ जिस विदेशी मुद्रा के लिए रुपया जमा करना है, उसकी धनराशि।
 - (ग) विदेशी संभरकों को भुगतान की तिथि।
 - (घ) चुकाए गए व्यय की, धनराशि और अवधि जिस के लिए इसकी गणना की गई है।
 - (ङ) जमा की गई कुल धनराशि।
- (व्याज की गणना संभरकों को भुगतान करने की तिथि से सरकारी लेखों में जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए की जानी चाहिए है)।

21. रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली से या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी दिल्ली-6 से चालान की एक प्रतिलिपि या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली-6 को डिमान्ड ड्राफ्ट के प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में सूचना जिस बैंक ने गारंटी जारी की है उस के द्वारा सहायता लेखा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-1 को अग्रसारण पत्र के साथ सम्बद्ध नामित जर्मन बैंक से प्राप्त किए गए 'एडवाइस नोट' का पूरा व्यौरा देते हुए भेजनी चाहिए।

22. केवल प्राधिकृत व्यापारियों के ही माध्यम से अपेक्षित रुपए का निक्षेप करना आयातकों के लिए अनिवार्य होगा और सार्वजनिक सूचना संख्या 184-आई टीसी (पीएन)/68, दिनांक 30 अगस्त, 1968 में यथा अपेक्षित उन्हीं प्राधिकृत व्यापारियों के द्वारा लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति भी पृष्ठांकित करानी होगी। आयातकों को रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा यथा निर्धारित अपेक्षित 'एस' प्रपत्र भी भरना चाहिए।

23. लाइसेंस के अधीन आयात पूर्ण कर लेने और आयातकों/बैंकरों द्वारा सभी देय धनराशि-या सरकारी लेखों में जमा कर लेने के बाध प्राप्त किए गए आयातों और जमा किए गए रुपए का ब्यौरा अनुबंध 7 में निर्धारित प्रपत्र में सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक सहायता लेखा शाखा, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को प्रस्तुत करना चाहिए। जिस से कि वित्त मंत्रालय, जहां कहीं आवश्यक हो, सत्यापन करने और आयातकों द्वारा प्रस्तुत की गई बक गारंटियों की गिहार्ड के लिए व्यवस्था कर सके।

24. आदेश देने की प्रगति, माल की प्राप्ति, जर्मन संभरकों को भुगतान आदि को प्रदर्शित करते हुए एक त्रैमासिक रिपोर्ट लाइसेंस जारी होने की तिथि से प्रारम्भ करके अनुबंध 8 के अनुसार दो प्रतियों में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्लू ई-1 अनुभाग, कमरा नं० 270, नार्थ ब्लॉक), नई दिल्ली को प्रस्तुत करनी चाहिए और यह तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक संविदा के अधीन सभी पोतलदान और भुगतान पूर्ण न कर लिए गए हों।

25. लाइसेंस के आधार पर क्रय संविदाओं को अन्तिम रूप देने समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष शर्तों के लिए अनुबंध-1 देखा जा सकता है।

अनुबन्ध-1

डी० एम० 3 करोड़ क्रेडिट के अन्तर्गत पूंजीगत माल के लिए ऋण सविदा को अन्तिम रूप देने समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष शर्तें ।

1. सविदा में निहित, भुगतान के लिए शर्तें प्रचलित मान के अनुरूप अवश्य होनी चाहिए ।

2. जहाँ सविदा / परियोजना के अन्तर्गत शामिल की गई संभरणों/सेवाओं के प्रकार के लिए निष्पादन गारंटी अपेक्षित होती है तो इसके लिए ऋण सविदा में एक व्यवस्था होनी चाहिए कि माल के पूर्ण रूप से संभरण होने अथवा परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात् भुगतान का अन्तिम किस्त पर्याप्त अवधि के समाप्त होने से पूर्व बकाया नहीं होगा (वह अवधि, उपरकण/परियोजना के प्रारम्भ होने के 6 मास से कम की नहीं होगी) जहाँ अन्तिम किस्त के सम्बन्ध में, संभरणों द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाती है तो ऐसे भुगतान पोतलवान पूर्ण होने के पश्चात् किए जा सकता है और यह इस शर्त के अधीन कि बैंक गारंटी पूंजीगत माल के वितरण होने के अथवा व्यक्तिगत परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात् पर्याप्त अवधि के अन्त में मुस्त की जायगी । वित्त मंत्रालय, आर्थिक काय विभाग (इब्ल्यू ई-1 अनुभाग) कमरा नं० 270 नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-1 को भेजी जाने वाली सविदा की प्रत्येक प्रति के साथ एक गारंटी की एक साक्ष्यांकित प्रति लगानी चाहिए ।

बी डी एम ए (जर्मन मशीन निर्माता संघ) के विनियमों के अनुसार जर्मन संभरणों के लिए यह आवश्यक है कि वे सामान्य नियम के अनुसार उपरकण/मशीन के प्रारम्भ होने से 6 मास की अवधि के लिए आयातकों को निष्पादन गारंटी देने की व्यवस्था करें । इसलिए साइससधारी को यह सलाह दी जाती है कि वह ऋण सविदा करते समय ऐसी गारंटी के लिए आग्रह करें । यदि जर्मन संभरणों द्वारा बी डी एम ए के विनियमों के अनुसार निष्पादन गारंटी दी जाती है तो पूर्व की कंडिका में अनुबद्ध किए गए के अन्तर्गत भुगतान की अन्तिम किस्त के लिए बैंक गारंटी की अपेक्षा किए बिना ही पोतलवान पूर्ण हो जाने पर 100 प्रतिशत भुगतान किया जा सकता है ।

3. लागत-बीमा-भाड़ा आदेशों के मामले में, जर्मन संभरणों को, जर्मन जनवादी गणराज्य बीमा कम्पनी के साथ बीमा कराने के लिए कहा जाना चाहिए ।

4. उपर्युक्त कंडिका (2) में उल्लिखित बैंक गारंटी में से उत्पन्न होने वाले भुगतान अथवा उपर्युक्त कंडिका (3) में उल्लिखित बीमा के कारण दावे में से उत्पन्न होने वाले भुगतान, बैंक/बीमा कं० द्वारा सीधे ही क्रेडिट टाल्ट फर बडराफैन्गू (इयचस्खे बुडम्बेक, फैफ्ट/मैन के साथ लेखा संख्या 50409100) को किए जाने चाहिए ।

5. बीमा तथा भाड़ा आदेशों के मामले में, भारतीय बीमा कं० के साथ ही बीमा किया जाना चाहिए । भारतीय बीमा कं० को चाहिए कि वह आयातक को निम्नलिखित वचन दे :—

“हम, माल की नुकसान होने अथवा टूटफूट होने के कारण मांगी गई किसी भी प्रतिवस्तु के लिए समुद्र पार के संभरणों को विदेशी मुद्रा में प्रेषण करेंगे ।”

6. भारतीय आयातक को निम्नलिखित शर्तों का ध्यान रखना चाहिए :—

- (क) माल की सूची, भुगतान की शर्त या अनुसूची माल की कीमत आदि के लिए दी गई संविदा में यदि कोई तात्त्विक परिवर्तन हो तो उसके लिए चाहे यह शीघ्र भुगतान अथवा भुगतान को स्थगित करने से संबंधित हो, वित्त मंत्रालय तथा जर्मन प्राधि-कारियों से उन्हें पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी ।
- (ख) ऐसे परिवर्तन (नों) के बारे में वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली (डब्ल्यू ई-1 अनुभाग, कमरा सं० 270 नार्थ ब्लॉक) को शीघ्र ही बता देना चाहिए ।

अनुबन्ध-2

क्रेडिटान्स्टाल्ट फर वेडरौफ ब्यू 6 फ्रन्कफर्ट/मैन, जर्मन जनवादी

गणराज्य पालमेनगार्टन्सटेस 5-9.

जर्मन पूंजीगत माल ऋण से विदेशी मुद्रा के लिए आवेदन पत्र ।

परियोजना आंकड़ा

- (1) आवेदक :
 (फर्म)
 (क) पंजीकृत कार्यालय :
 (ख) सार्वजनिक अथवा निजी संस्थान :
 (ग) व्यवसाय लाइन :
 (घ) कम्पनी के भागीदार :
 (ङ) विदेशी सहयोग करार :
 (सहयोगी का नाम ; प्रकार तथा करार की अवधि)
- (2) अर्थयुक्त किए जाने वाले पूंजीगत माल की किस्म :
- (3) निम्नलिखित पर आधारित पूंजीगत माल का चुनाव :
 (क) प्रतियोगी बोली क्रियावधि :
 (ख) तुलनात्मक बोलियाँ :
- (4) संभरक :
 (नाम और पता)
- (5) सम्पूर्ण परियोजना का संक्षिप्त विवरण :
 (जिसके लिए ऐसे पूंजीगत माल की आवश्यकता है)
- (6) सम्पूर्ण परियोजना की कीमत :

स्थानीय कीमत	विदेशी मुद्रा	कुल
(क) संयंत्र तथा सम्पत्ति		
(ख) मशीन तथा उपकरण		
(ग) प्रचालन निधि		
(घ) विविध		
कुल		

- (7) सम्पूर्ण परियोजना के लिए स्थानीय तथा विदेशी वित्तीय स्रोत :
- (8) प्राप्त कर लिए गए आशयपत्र, औद्योगिक लाइसेंस तथा आयात लाइसेंस ।
- (9) गत दो वर्षों के लिए संतुलन-पत्र और लाभ तथा घाटे लेखों और नकद में चलान करने का पूर्वानुमान यदि उपलब्ध हो तो उसके साथ वार्षिक रिपोर्ट :
- (10) क्षमता : ॥
- (क) गत दो वर्षों के दौरान वर्तमान क्षमता का औसत उपयोगीकरण :
- (ख) अन्तर्उपयोगीकरण के मामले में, कृपया मुख्य कारण बतायें ।
- (11) बिक्री
- (गत दो वर्षों की) :
- उसका निर्यात
- (कुल बिक्री तथा मूल्य का औसत रूप में) :
- (12) निर्माण किए जाने वाले उत्पाद की बाजार-स्थिति :
- (क) भारतीय बाजार में मुख्य देशी तथा विदेशी प्रतिद्वंद्वी :
- (ख) भारत में मुख्य ग्राहक तथा विक्रय क्षेत्र :
- (13) रोजगार :
- (क) वर्तमान कर्मचारियों की संख्या :
- (ख) परियोजना पूर्ण होने के बाद अतिरिक्त रोजगार :
- (14) कच्चे माल के संभरण के स्रोत ।
- (15) परियोजना के निष्पादन के लिए समय-सारणी :
-

सेवा में,

निर्देशक,
अनुदान लेखा, वित्त मंत्रालय,
अर्थकार्य विभाग,
जीवन दीप बिल्डिंग, पानियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली-1

विषय : 1972, 73 के लिए पश्चिम जर्मनी पूंजीगत माल क्रेडिट के अन्तर्गत पश्चिम जर्मनी
से _____ का आयात ।

(डी० एम० 3 करोड़)

महोदय,

ऊपर उल्लिखित क्रेडिट के अन्तर्गत पश्चिम जर्मनी से _____ का आयात करने के सम्बन्ध में हम निम्नलिखित धीरा आपको देते हैं ताकि आप बेयरिस्के, बैरेक्स बैंक, म्युनिख, या कामर्ष बैंक ए० जी० फैंकफर्ट, या ड्युसल्ले बैंक, ए० जी० हम्बर्ग, या डेस्सेलर बैंक ए० जी० जैगफरस्टीफ, हम्बर्ग अथवा बर्लिनर हिल्डल्स गेसेल्सचाफ्ट फैंकफर्ट बैंक, 6 फैंकफर्ट ए० एम० मैन् में साख-पत्र खोलने लिए प्राधिकार पत्र जारी कर दें ।

(क) आयातक का नाम और पता ।

(ख) लाइसेंस की सख्या, दिनांक और मूल्य ।

(ग) भुगतान अवधि की दशति हुए संभरकों द्वारा दिए गए तथा स्वीकार किए गए आदेश का डी० एम० में मूल्य तथा दिनांक अर्थात् (लागत बीमा-भाड़ा तथा लागत भाड़ा) (प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन किसी भी स्थिति में केवल जहाज पर निशुल्क मूल्य के लिए नहीं करना चाहिए) ।

(घ) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण ।

(ङ) डी० एम० मूल्य, जिसके लिए प्राधिकार-पत्र की मांग की गई है ।

(च) संभरकों का नाम तथा पता और ऐसे संभरणों के लिए भुगतान की जाने वाली डी० एम० धन राशि ।

(छ) माल छुड़वाने की अनुमानित तिथि ।

(ज) सविदा के अन्तर्गत भुगतान के लिए पड़न वाली संभावित तिथि को प्रदर्शित करने वाली एक अनुसूची ।

साख-पत्र जिसके द्वारा खोला जाएगा—विदेशी मुद्रा देने के लिए प्राधिकृत भारतीय निर्यात बैंक का नाम, पता और ऊपर उल्लिखित बैंक द्वारा—रूप के लिए दी गई बैंक गारंटी संख्या—दिनांक—और जो स्टाम्प अधिनियम 1899 के धारा 31 के अनुसार स्टाम्प कलेक्टर द्वारा विधिवत् न्याय निर्णित की गई है, संलग्न है।

भवदीय,

(लाइसेंसधारी)

बैंक को एक प्रति सूचनार्थ प्रेषित ।

अनुबन्ध—1

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति,

भारत के राष्ट्रपति के बदले में (इसे बाद में "सरकार कहा गया") लाइमेस सध्या
दिनांक _____ के मद्दे जो 1971-72 के
लिए पश्चिम जर्मनी पूंजीगत क्रेडिट के नियमों तथा शर्तों के अन्तर्गत जारी किया गया है
के द्वारा _____ का

(इसे बाद में आयात कहा गया)

आयात करने के लिए डी०एम० में भुगतान की व्यवस्था पर महमत होते हुए और उपर्युक्त
करार के मद्दे आयातक के नाम में आयात के अनुमरण में हम _____ बक
आयातक के अनुरोध करने पर _____ द्वारा

(आयातक द्वारा मनोनीत जर्मन बैंक का नाम)

वितरण की गई राशि को जमा करने के लिए और उस पर 1 प्रतिशत, जो इस सम्बन्ध में
समय समय पर सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार परिकल्पित प्रचलित दर में
परिवर्तित किया गया है को जोड़कर और जर्मन मन्त्रालयों को किये गये भुगतान की तारीख
से लेकर सरकारी लेखों में निक्षेप के लिए समतुल्य रुपये के भुगतान की तारीख तक 8 प्रतिशत
वार्षिक व्याज के साथ भुगतान के परामर्श की पावनी प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर विधि
अनुसार भारत सरकार के क्रेडिट के लिए और उपर्युक्त क्रेडिट के अन्तर्गत जैसा कि भारत सरकार
द्वारा लेखा शीर्ष के सामने संकेतित है जमा करने की व्यवस्था करने की वचन देने है। जर्मन
बैंक द्वारा प्राप्त आयात प्रलेखों का परामर्श सेट आयातक को केवल तभी लौटाया जाएगा जबकि
ऊपर के अपेक्षित जमा रुपये पूरे कर लिए गए हैं।

2. हम, दि _____ बैंक, सरकार जहां और जैसा भी,
समय समय पर निवेश दे, आयातक द्वारा समय समय पर सरकार को दी जाने वाली किसी भी
प्रकार की राशि चाहे वह बकाया हो या भुगतान करने योग्य या उस पर कोई भी अग्र जो आयातक
द्वारा थोड़े समय के लिए बकाया और देय रह गया है, जिसमें जर्मन बैंक की भुगतान करने की
तारीख से उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज भी शामिल है, ऐसी राशि _____
से ज्यादा न हो, उसके द्वारा भुगतान करने में देय होगी, तो उसकी
भी क्षति उठावेंगे और सरकार की क्षतिपूर्ति करेंगे। आयातक द्वारा उल्लिखित भुगतान करने
में किसी प्रकार की देर होने पर अथवा उसकी ओर से सरकार की भुगतान करने के सम्बन्धों
में जो राशि हमारे _____ बैंक द्वारा दी जाने वाली है, उस सम्बन्ध में सरकार
द्वारा लिया गया निर्णय हमारे ऊपर _____ बक, अन्तिम और अभिवार्य
होगा।

3. हम _____ बैंक आगे इस बात पर महमत है कि सविदा के अन्तर्गत
मिली जुली दर में परिवर्तन होने पर आयात के मूल्य में वृद्धि होने से या अधुने माल ढुङ्गाने
की स्थिति में उसके मूल्य में वृद्धि होने की स्थिति में, जब से परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन
के अनुपात में बैंक गारंटी बांड की धन-राशि को समायोजित कर लिया जाएगा।

4. हम—बैंक आगे इस बात पर सहमत है कि इस गारंटी में जो कुछ दी गई है, वे उल्लिखित करार संविदा के निष्पादन होने तक पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ लागू होंगी और उसे जब तक कार्यान्वित रखा जायेगा जब तक सरकार के अन्तर्गत या इस गारंटी में आने वाला सारा बकाया पूर्णरूपेण चुकता न कर दिया गया हो और इसकी सारी मांगें पूरी न हो गई हों या उन्मुक्त न हो गई हों ।

5. इसमें उल्लिखित गारंटी पर आयातक या दि—
बैंक के सविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार को पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि गारंटी को प्रभावित किये बिना आयातक के विपरीत अथवा उसके द्वारा किसी भी भुगतान की राशि जो एनर्द्ध द्वारा सुरक्षित की जानी है उसे और दि—

बैंक पर लागू होने योग्य किसी भी अधिकार को किसी समय या समय-समय के लिए स्थगित करे । उपयुक्त मामले के सदर्भ में या किसी कारणवश थोड़े समय के लिए आयातक को या किसी अन्य स्थगन को दिया गया हो, इस गारंटी के अन्तर्गत सरकार द्वारा किसी प्रकार की स्वतंत्रता बरती जाने पर यह अपनी जिम्मेदारी से उन्मुक्त नहीं होगी, लेकिन इस व्यवस्था के लिए, नियम और या सरकार की ओर से दी गई छूट या आयातक पर किये गये किसी तरह से अनुग्रह हो या और कोई मामला या बात, चाहे जो भी हो, जो जमानतों से सम्बन्धित हो, दि—
बैंक पर इस प्रकार की जिम्मेदारियों के लिए उपर कथित उन्मुक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

6. सरकार की लिखित प में सम्पत्ति के निवाय हम बैंक, अस्त में, इसके मुद्रा काल में इसकी गारंटी को रद्द नहीं करने का भार लेते हैं ।

7. इस गारंटी के अन्तर्गत — रुपये (इसमें व्याज और अन्य प्रभार भी शामिल हैं, इस गारंटी की धन-राशि के 1 प्रतिशत से अधिक बढ़ने की उम्मीद नहीं की जाती) तक सीमित रखने की हमारी जिम्मेदारी है और यह—
दिन
मास— 197— तक, जब तक इसकी

तारीख से छः मास के भीतर लिखित रूप में इस गारंटी के अन्तर्गत मांगें पूरी नहीं करली जातीं, इसे लागू रखा जाएगा और जब तक उसके बाद तक दूसरे छः मास के भीतर इन मांगों के लिए मुकदमा या कार्यवाई लागू न हो जाए, इस गारंटी के अन्तर्गत सरकार के सभी अधिकारों द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा और हम लोग इसके अन्वय निहित सारी जिम्मेदारियों से मुक्त और उन्मुक्त कर दिए जायेंगे ।

दिन का दिनांक
वास्ते — बैंक एल टी०डी०

श्री— के द्वारा

(नाम और ओहदा)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से स्वीकृति ।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

यह तारीख और एक मास के साथ प्राधिकार पत्र को वैध रखने तक की तारीख से लागू होगी ।

(टिप्पणी : स्टाम्प पेपर, जिसमें यह गारंटी कार्यान्वित होने वाली है इसके मूल्य को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प कलक्टर के द्वारा न्याय निर्णित किया जाना है ।

अनुबन्ध—5

प्राधिकार-पत्र की संख्या

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(अर्थ कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक—197

सेवा में,

(जर्मन बैंक का नाम और पता)

प्रिय महोदय,

विषय : जर्मन-जनवादी गणराज्य से 1971-72 (ए एन 710) के लिए पूंजीगत माल निक्षेप के अन्तर्गत आपके साथ क्रेडिट के अन्दर जमालेखा -पत्र के माध्यम से जर्मन संभरकों को भुगतान करने के लिए प्रक्रिया ।

उपर्युक्त प्रक्रिया के नियमों और शर्तों के अनुसार पत्र संख्या—
दिनांक — जो मुख्य लेखा अधिकारी, भारत का उच्चायोग, सन्धन को संबोधित था, इससे सहमत होते हुए, हम इसके द्वारा —
के द्वारा — के आयात को समाविष्ट करने के लिए की गई संविदा के लिए — के द्वारा खोले गये साख-पत्र के अन्तर्गत डी० एम०—
की धन राशि—को देने के लिए आपको प्राधिकृत करते हैं ।

2. प्रत्येक भुगतान के बाद जहाजरानी और अन्य प्रकार के प्रलेख (परक्राम्य) को सीधे — को भेजे जाएं और प्रलेखों (अपरक्राम्य) के एक सेट के साथ एक भुगतान परामर्श अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ भेजें ।

3. उपर्युक्त साख-पत्र के अन्तर्गत आपका बैंक प्रभार—के द्वारा भारत द्वारा जमा धन से आपके साथ सीधे ही तय किया जाएगा ।

4. यह प्राधिकार—197—तक वैध रहेगा ।

भवदीय,

लेखा अधिकारी ।

अनुबन्ध—6

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(अर्थ कार्य विभाग)

सेवा में,

नई दिल्ली

विषय : पश्चिमी जर्मनी से आयात-पूँजीगत माल के लिए डी० एम० 3 करोड़ के लिए साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकार-पत्र का जारी करना, आयात लाइसेंस संख्या —————

प्रिय महोदय,

पत्र संख्या ————— दिनांक ————— के द्वारा ————— के संदर्भ में, जिसमें उन्होंने डी० एम० 3 करोड़ क्रेडिट के अन्तर्गत पूँजीगत माल के लिए आप के बैंक द्वारा साख-पत्र खोलने के लिए अनुमति मांगी है, पश्चिम जर्मन संभरकों को ————— तक डी० एम० में भुगतान की व्यवस्था के लिए उनको प्राधिकृत करते हुए, मैं अर्थ कार्य विभाग वित्त मंत्रालय का प्राधिकार पत्र संख्या ————— दिनांक ————— (एक अतिरिक्त प्रति के साथ) जो ————— को जारी किया गया था, संलग्न कर रहा हूँ। इस प्राधिकार पत्र को आपके द्वारा खोले गये साख-पत्र के साथ आपके द्वारा ————— को भेज दिया जाता चाहिए।

2 इस विभाग को अवगत कराते हुए, इस पत्र के जारी होने की तारीख के तीस दिनों के भीतर आपको साख पत्र खोलने का अधिकार दिया जाता है, जिसकी धन-राशि डी० एम० में ————— से अधिक नहीं होनी चाहिए। विनिमय नियंत्रण नियम पुस्तक के भाग 7 के पैरा 10 के अनुसार आपको यह सुनिश्चित कर देना अपेक्षित है कि पोल-लदान की अन्तिम तारीख निश्चित होने के बाद साख पत्र की समाप्ति की तारीख 30 दिन से पहले है जैसा कि सम्बन्धित आयात लाइसेंस में बताया गया है अथवा प्राधिकार पत्र में जो तारीख दी गई है अथवा वह हो चाहे इसमें जो पहले हो। साख-पत्र खोलने से पूर्व आयातक इस बात के लिए कृपया सुनिश्चित हो जाए कि उनके पास जो लाइसेंस है, वह वैध आयात लाइसेंस खोले जाने वाले साख-पत्र में एक अनुच्छेद इस सम्बन्ध में आवश्यक रूप से होना चाहिए कि भारती/पश्चिम जर्मन बेटों में लदान किया जाना है और यह कि संभरकों को डी०एम० में भाड़ा प्रभारों के भुगतान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

3 आप से यह अनुरोध है कि ————— के द्वारा प्रलेखों के मिल जाने के 10 दिनों के भीतर आपके द्वारा की गई गारंटी के अनुसार जर्मन संभरकों को 1 प्रतिशत आकस्मिक और प्रासंगिक प्रभारों के साथ डी० एम० में भुगतान के लिए समतुल्य रुपये जमा करने की व्यवस्था आपको करनी है। समतुल्य रुपये की जा धनराशि जर्मन संभरकों को दी जाएगी, उसे अवला बदली की मिली जुली दर मार्च/जनिक सूचना संख्या 15-आई टी सी (पीएन) / 72, दिनांक 28-1-72 में सकेत किए गए के अनुसार परिगणित किया जाएगा / जब कभी विनिमय की आई एम एफ समता दर में परिवर्तन होता है तो यह दर संशोधनाधीन है। संभरकों को किए गए भुगतान की तिथि से तथा जिस तिथि को समतुल्य रुपये जमा किए गए, दोनों के बीच की अवधि का 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी सरकार

के लेखा में जमा करना है। इन धनराशियों को जमा करने की व्यवस्था करने और आयातकों को आयात सम्बन्धी प्रलेख देने से पहले इस बात के लिए निश्चित हो जाना कि उपर्युक्त जो धन राशि जमा की गई है वह हर तरह से ठीक है, यह जिम्मेदारी आपकी होगी।

4 ये धन-राशि या तो रिजर्व बैंक आफ इन्डिया नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इन्डिया तीस हजारी, दिल्ली-6 में जमा की जानी चाहिये या स्टेट बैंक आफ इन्डिया की किसी शाखा या उसके नियंत्रित (आदेशक) के द्वारा आप को प्राप्त डिमांड ड्राफ्ट, जो स्टेट बैंक आफ इन्डिया, तीस हजारी, दिल्ली-6 (आदेशनी और पाने वाला) के नाम निकालने और भुगतान के लिए है, उनके द्वारा जमा की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में आपका ध्यान मार्बजनिंग सूचना संख्या 233-आईटी सी (पीएन)। 68, 24 अक्तूबर, 1968 की ओर भी आकर्षित किया जाता है। लेखा शीर्ष जो आकलित किया जाता है वह टी-डिपोजिट्स एंड एडवॉज-2-डिपोजिट्स नाट बयॉरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स सिविल डिपोजिट्स फार परचजिस एब्राड अन्डर डायरेक्ट प्रेसपेन्ट प्रोसीजर अन्डर दि डिटेल्ड डिपोजिट्स-ईड डिपोजिट्स फार कास्ट आफ मप्लार्इज एंड इक्विपमेंट्स आक्टेंड अन्डर डी एम 3 करोड क्रेडिट फार केपीटल गुड्स फ्राम बेस्ट जर्मनी होगा।

5 मनोनीत जर्मन बैंक से प्राप्त परामर्श नोट का पूरा विवरण देते हुए एक अप्रेषित पत्र के साथ, रिजर्व बैंक आफ इन्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इन्डिया, दिल्ली में समतुल्य रुपया तबद में जमा करने की स्थिति में चालान की एक मूल प्रति आपके द्वारा नीचे लिखे पते पर भेजी जानी चाहिए—

निर्धनक, अनुदान लेखा,

वित्त मंत्रालय, अर्थ कार्य विभाग,

जीवन बीम भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट,

नई दिल्ली।

डिमांड ड्राफ्ट द्वारा समतुल्य रुपया जमा करने की स्थिति में जैसा कि ऊपर की मार्बजनिंग सूचना दिनांक 24 अक्तूबर, 1968 में बताया गया है उसकी सूचना ऊपर दिए गए पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी स्थिति में, व्याज की जो राशि चुका दी गई है और जिस अवधि के लिए व्याज परिगणित किया गया है, उसके साथ जमा किए गए समतुल्य रुपये का पूरा विवरण इस विभाग को भेज देना चाहिए (जिस अवधि के लिए परिगणित किया गया है और व्याज का मूल्य अदा कर दिया गया है, उसे साफ संकेतित किया जाना चाहिए)।

6 आपके द्वारा खोले जाने वाले साख पत्र में एक अनुच्छेद इस सम्बन्ध में जोड़ा जाना चाहिए कि यदि कोई दावे पश्चिम जर्मन बीमा क० से प्राप्त होते हैं और / अथवा निष्पादन गारंटी से संबंधित बैंक गारंटी में से कोई दावे उत्पन्न हैं तो वे बीमा कम्पनी और / अथवा डी० एम० में गारंटी देने वाले बैंक द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली को परामर्श देते हुए सीधे क्रेडिट स्टान्ड (लेखा पं० 504.09100 इंग्लैंड वुल्ड्स बैंक, फ्रैंकफर्ट / मैन) को प्रेषित किए जाएं।

7. कृपया इस पत्र का पावती की सूचना दीजिए।

भवदीय,
(लेखा अधिकारी)

प्रति सर्वश्री..... को उनके उपर्युक्त दिए गए संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित / प्राधिकार पत्र की एअर प्रति भी संलग्न है। यदि भारतीय और या जर्मन पोतों द्वारा माल भेजने में संभरकों को कोई कठिनाई अनुभव होती सर्वश्री एखैन्कर एंड कं की सेवाएँ प्राप्त की जा सकती है।

लेखा अधिकारी

अनुबन्ध-7

प्रपत्र

1. जिस आयातक/ लाहमेसधारी की ओर से बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई थी उसका नाम और पूरा पता ।
2. आयात लाहमेस की संख्या तथा दिनांक और मूल्य ।।
3. प्रस्तुत की गई गारंटी की संख्या, दिनांक और धनराशि ।
4. साखपत्र खोलने के लिए वित्त मंत्रालय में प्राप्त किए गए प्राधिकार-पत्र का ब्यौरा ।
 - (क) प्राधिकार-पत्र की संख्या और दिनांक ।
 - (ख) प्राधिकार-पत्र की धन राशि (डी० एम० में) ।
5. किए गए आयातों और जमा किए गए रुपये का ब्यौरा .—
 - (क) संभरक (कों) का नाम ।
 - (ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित संभरकों (को) को वास्तव में चुकाई गई धन राशि (डी० एम० में) ।
 - (ग) नामित जर्मन बैंक द्वारा संभरक को भुगतान का दिनांक ।
 - (घ) जमा किए जाने वाले रुपये की धनराशि :—
 - (1) 1 डी० एम०- की दर पर संभरक को चुकाई गई डी० एम० धनराशि के बराबर रुपया ।
 - (2) चुकाया गया ब्याज ।
 - (3) अवधि जिस के लिए से तक ब्याज की गणना की गई है ।
 - (4) जमा की गई धूल धनराशि ।
 - (5) जमा करने का दिनांक और स्थान ।
 - (6) राजकोष चालान की संख्या और दिनांक (सलग्न की जानी है) । यदि राजकोष चालान पहले ही भेज दिया है तो जिस पत्र के साथ वह भेजा गया था उसकी संख्या और दिनांक का संदर्भ उद्धृत किया जाए ।
 - (7) यदि उपर्युक्त (घ) (4) में उल्लिखित रुपया डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा किया था तो ड्राफ्ट का दिनांक और धनराशि और आपके जिस पत्र के साथ यह ड्राफ्ट महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व को भेजा गया था उसका ब्यौरा निर्दिष्ट किया जाना है ।

6. प्रत्येक प्राधिकार-पत्र पर उपयोग की गई और बिना उपयोग की गई शेष धनराशि (डी० एस० में) :—
7. इस सम्बन्ध में एम प्रमाण-पत्र कि उपर्युक्त (6) में निर्दिष्ट शेष धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है और उस के प्रति कोई भी लदान नहीं किया गया है, और उसे समाप्त माना जाएगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

अनुबन्ध-8
प्रपत्र

कम्पनी का नाम	निर्बो/सार्व-जनिक क्षेत्र	उद्योग की श्रेणी	कम्पनी का पता	नियतन की धनराशि (₹० में)	आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य (₹० में)	संविदा का मूल्य (डी० एम०)	साख पत्र का मूल्य (डी० एम०)	साख पत्र के प्रति चुकाई धनराशि (डी० एम०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

टिप्पण :— 22. 6 लाख रुपये (10 लाख डी० एम०) से अधिक नियतन के सम्बन्ध में यदि कोई विजेब वटना हो तो उस पर, परियोजना की प्रगति पर और परियोजना के पूर्ण होने के लिए टाइम अनुसूची के पालन पर लाइसेंसधारी को अतिरिक्त अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। जब तक परियोजना पूर्ण नहीं हो जाती तब तक वार्षिक रिपोर्ट (दो प्रतिष्ठा में) भी कम से कम तीन वर्षों तक भर्पेक्षित होगी।

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

